

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर  
पीठारसीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

दिनांक - 17.07.2025

क्रमांक रीडर/2025/ 6171  
प्रार्थी

1 केशीदेवी पत्नी राणाराम 2. नेनाराम पुत्र राणाराम 3. विशनाराम पुत्र राणाराम जातियान जाट निवासीयान मण्डों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

बनाम


अप्रार्थीगण

1 टीकमाराम पुत्र निम्बाराम 2.दुदाराम 3. भैराराम 4.राणाराम पिसरान खेताराम 5. भीखीदेवी पत्नी खेताराम 6.कंवराराम 7. ठाकराराम पिसरान किरतुराराम 8.सारो पत्नी किरतुराराम 9.जीयाराम 10.मुकनाराम 11. रामाराम पिसरान अनाराम 12.गेहरों पत्नी प्रभुराम 13.रावताराम 14.लाधाराम पिसरान प्रभुराम जातियान जाट निवासीयान मण्डों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 830/2024 दिनांक- 11.07.2025

संशोधित आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मण्डों का तला, पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 391/308 रकबा 4.6701 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 6172-6175  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 17.07.2025

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी केशीदेवी पत्नी राणाराम जाति जाट निवासी मण्डों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी टीकमाराम पुत्र निम्बाराम वगैराह निवासी मण्डों का तला, जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर